भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2195
उत्तर देने की तारीख 5 अगस्त, 2024
14 श्रावण, 1946 (शक)

आधुनिक खेल परिसर भवन का निर्माण

2195. श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दमन किले के अंदर एक आधुनिक खेल परिसर भवन का निर्माण किया जा रहा है, यदि हां तो सिविल, आंतरिक और भूनिर्माण कार्य जैसे कि कार्य का नाम, अनुमानित लागत, कार्य प्रारंभ होने की तिथि, निविदा तिथि, समाचार पत्रों में जारी विज्ञापन, परामर्शदाता का नाम, ठेकेदार का नाम, कार्य की स्थिति, आज तक ठेकेदार को भुगतान की गई राशि के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त कार्य के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण से प्राप्त अनुमति/मंजूरी के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए संबंधित दोषी अधिकारियों/परामर्शदाताओं / ठेकेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई प्रस्तावित है और अपेक्षित अनुमति के बिना कार्य किए जाने की स्थिति में इसके लिए क्या समय-सीमा है; और

(घ) क्या अवैध भवनों के निर्माण की लागत, संबंधित लोगों से वसूल की जाएगी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) जी, नहीं। तथापि, राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारक अर्थात् मोटी दमन में 'किले की दीवार' की प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 में परिभाषित विनियमित सीमाओं के भीतर एक खेल परिसर का निर्माण कार्य दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र के लोक निर्माण विभाग तथा दमन एवं दीव प्रशासन द्वारा किया जा रहा है।

(ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) या राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के पास ऐसा कोई विवरण उपलब्ध नहीं है।

(ग) प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 और इसके तहत बनाए गए संशोधनों और नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए एएसआई द्वारा दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव की केंद्र शासित प्रदेश सरकार को विनियमित क्षेत्र में खेल परिसर भवन के अनधिकृत निर्माण के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

(घ) प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 में राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारकों की विनियमित सीमाओं के भीतर अनधिकृत निर्माण सहित इसके प्रावधानों के उल्लंघन के विरुद्ध कार्रवाई के लिए समुचित प्रावधान हैं।

****